**संख्या- 10/2015/898/11-5-2015-218(6)/2015**

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों का निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक )अनुभाग-1, के पत्र संख्या-2/2015/बी-1-925-दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 एवं आपके पत्र संख्या-847/नौ-104/2015, दिनांक 11-04-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-01-स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में रु0 119024 हजार (रुपये ग्यारह करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार मात्र) एवं 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय मद में रु0 1309400 हजार (रुपये एक सौ तीस करोड़ चौरानवे लाख मात्र) कुल धनराशि रु0 1428424 हजार (रुपये एक सौ बयालीस करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार मात्र), तथा भारित मद में रू0 1 हजार (रूपये एक हजार मात्र), जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट** में विस्तृत रूप से दिया जा रहा है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

(4)व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय तथा तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-2015 बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं, इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को प्रष्ठांकित की गई है। अत: उक्त आदेश में निहित निर्देशों/प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या-10/2015/898(1)/11-5-2015 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-10/2015/898/11-5-2015-218(6)/2015 दिनांक 24-04-2015 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

| क्र0सं0 | अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-01-स्टाम्प न्यायिक-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01-वेतन | 1545 |
| 2 | 03-मंहगाई भत्ता | 1854 |
| 3 | 04-यात्रा व्यय | 60 |
| 4 | 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 30 |
| 5 | 06-अन्य भत्ते | 180 |
| 6 | 07-मानदेय | 5 |
| 7 | 08-कार्यालय व्यय | 50 |
| 8 | 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 30 |
| 9 | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 20 |
| 10 | 16--व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 120 |
| 11 | 42-अन्य व्यय | 0 |
| 12 | 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 5 |
| 13 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 20 |
| 14 | 49-चिकित्सा व्यय | 100 |
| 15 | 51-वर्दी व्यय | 5 |
| 16 | **योग 03 मतदेय** | **4024** |
| 17 | 101- स्टाम्पों की लागत<br>03- न्यायिक स्टाम्प<br>42- अन्य व्यय | 45000 |
| 18 | 102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय<br>03- न्यायिक स्टाम्प<br>42- अन्य व्यय | 70000 |
| | **योग 01 मतदेय** | **119024** |

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-10/2015/898/11-5-2015-218(6)/2015 दिनांक 24-04-2015 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

| क्र0सं0 | अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01-वेतन | 2200 |
| 2 | 03-मंहगाई भत्ता | 2640 |
| 3 | 04-यात्रा व्यय | 60 |
| 4 | 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 5 |
| 5 | 06-अन्य भत्ते | 330 |
| 6 | 07-मानदेय | 10 |
| 7 | 08-कार्यालय व्यय | 700 |
| 8 | 09-विद्युत देय | 80 |
| 9 | 10-जलकर/जल प्रभार | 0 |
| 10 | 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 200 |
| 11 | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 500 |
| 12 | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान। | 350 |
| 13 | 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय | 5 |
| 14 | 42-अन्य व्यय (मतदेय) | 0 |
| 15 | 42-अन्य व्यय (भारित) | 1 |
| 16 | 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 25 |
| 17 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 50 |
| 18 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय | 100 |
| 19 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 25 |
| 20 | 49-चिकित्सा व्यय | 100 |
| 21 | 51-वर्दी व्यय | 20 |
| 22 | योग 03 मतदेय | 7400 |
| 23 | **भारित** | **1** |
| 24 | 101- स्टाम्पों की लागत<br>03- गैर अदालती स्टाम्प<br>42- अन्य व्यय | 800000 |
| 25 | 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय<br>03- गैर अदालती स्टाम्प | 500000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0सं0 | अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-01-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान | निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 42-अन्य व्यय | |
| 26 | 800- अन्य व्यय<br>04- वाटर मार्क पेपर के बिक्री पर व्यय<br>42- अन्य व्यय | 2000 |
| | योग 02 मतदेय | 1309400 |
| | कुल योग-01 स्टाम्प न्यायिक + 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 1428424 (रूपये एक सौ बयालीस करोड, चौरासी लाख, चौबीस हजार मात्र) | |
| | भारित<br>(रूपये एक हजार मात्र) | 1 |

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।